न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2021/120 जिला–अजमेर

1. छोटू पुत्र शेर खां जाति पठान (मुसलमान) उम्र 71 वर्ष निवासी ग्राम अजबा का बाड़िया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. साबिर पुत्र छोटू तथाकथित गोदपुत्र मोहम्मद खां पठान(मुसलमान) निवासी ग्राम अजबा का बाड़िया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, अजमेर आदेश दिनांक 31–1–2020
प्रकरण संख्या 02/2017 बउनवान साबिर बनाम सरकार

————

उपस्थित– 1. श्री मंगलाराम चौधरी ,अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री प्रदीप यादव अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 10–01–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक वाद दिनांक 23–1–2013 को प्रकरण संख्या 13/2013 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अपने आपको मोहम्मद खा पुत्र अन्नू खां का तथाकथित पुत्र बताते हुए वसीयतनामें के आधार पर प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अजबा का बाडिया तहसील नसीराबाद के खाता संख्या 127/104 के खसरा नम्बर 437, 440, 441, 442,485, 486, 508/1039, 593, 595, 598, 601, 602 एवं 613 कुल किता–13 कुल रकबा 4.34 हैक्टर भूमि मूल खातेदर मोहम्मद खां पुत्र अन्नू कौम पठान की खातेदारी में है तथा मोहम्मद का स्वर्गवास हो चुका है जिसका एक मात्र वारिस वादी है वादग्रस्त आराजियात पर वादी का कब्जा है तथा मोहम्मद खां द्वारा अपने

जीवनकाल में दिनांक 12–1–1997 को वादी को अपना उत्तराधिकारी मानते हुए इन्तकाल हो जाने पर चल व अचल सम्पत्ति का अधिकारी होगा का बख्शीशनामा वादी साबिर के नाम 2/– के स्टॉम्प पर निष्पादित किया गया तथा बख्शीशनामा के आधार पर भूमि राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया। उक्त वाद को उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने अपने 30–6–2015 के द्वारा तहसीलदार को निर्देश देते हुए आदेश पारित किया कि वादग्रस्त आराजी मोहम्मद खा पुत्र अन्नू की खातेदारी है वादी का कथन है कि वह मोहम्मद खां का एक मात्र वारिस है किन्तु इसके समर्थन में कोई सजरा प्रमाण पत्र, वसीयतनामा व अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे उसका हक व अधिकार साबित होता है। प्रकरण मोहम्मद पुत्र अन्नू की विरासत का है अतः ग्राम बाघसुरी स्थित विवादित आराजियात पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है कि तहसीलदार उक्त आराजी समस्त हितबद्ध पक्षकारान की साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए मोहम्मद खां पुत्र अन्नू की विरासत की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 135(2) में की जावे। तहसीलदार अजमेर ने उक्त आदेश की पालना किये बिना विधि के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–1–2020 पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया है कि तहसीलदार, नसीराबाद ने अपीलार्थी को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एकपक्षीय निर्णय दिनांक 31–1–2020 पारित कर दिया। उक्त प्रकरण में नोटिस मिलने पर अपीलार्थी द्वारा जवाब दिनांक 30–7–2019 को पेश कर दिया जिस पर तहसीलदार ने उक्त प्रकरण में बयान दर्ज कर कहा कि जिरह के लिए आपको अलग से सूचना दे दी जायेगी। जिस पर उक्त प्रकरण में दिनांक 30–7–2019 से लेकर 10–12–2019 तक पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होनेके कारण पत्रावली में तारीख पेशीया पड़ती रही। दिनांक 31–12–2019 की पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली तहसीलदार द्वारा दिनांक 31–1–2020 नियत की गई और उसी दिन तहसीलदार ने बिना अपीलार्थी को जिरह कराये व साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कूटरचित फर्जी दस्तावेज व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट को आधार मानकर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय की आड़ में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के कब्जे काश्त की आराजी में दखंलंदाजी करने एवं आराजी से बेदखल करने एव अपने पक्ष में निर्णय होने की धमकी अपीलार्थी को दिनांक 15–12–2020 को दिये जाने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलार्थीको उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16–12–2020 को नसीराबाद आकर अभिभाषक

से सम्पर्क कर निर्णय की नकल प्राप्त कर दिनांक 17–12–2020 को आदेश की नकल प्राप्त कर फीस आदि की व्यवस्था कर अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी दिनांक से समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलार्थी ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30–6–2015 द्वारा प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि मोहम्मद पुत्र अन्नू खां की विरासत से संबंधित प्रकरण है इसलिए तहसीलदार नसीराबाद मोहम्मद पुत्र अन्नू खां के सभी वारिसानों की साक्ष्य ली जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज कर केवल मात्र अपीलार्थी को साक्ष्य हेतु नोटिस जारी किया जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपने साक्ष्य सबूत पेश कर विवादित आराजियात मोहम्मद पुत्र अन्नू खां से खरीदना बताते हुए इकरारनामा हांसल की रसीदे व बयान दर्ज करवाये थे। किन्तु तहसीलदार ने अपीलार्थी को व मोहम्मद पुत्र अन्नू खां के अन्य वारिसानों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा में निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलार्थी व्यथित पक्षकार था। उक्त प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी बिना पक्षकार बनाए तथा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश

पारित कर दिया। इस कारण उक्त प्रकरण में आक्षेपित आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायलय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना नितान्त आवश्यक है। चूंकि अपीलार्थी के विवादित आराजियात में हित निहित है और उक्त आदेश से अपीलार्थी हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार होने से अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों ,बयानों एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–01–2020 पारित कर मोहम्मद पुत्र अन्नू जाति पठान साकिन देह खातेदार के स्थान पर प्रत्यर्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी का विवादित भूमि पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है जिससे अपीलार्थी का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पोषनीय नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जावे।

उभय पक्षों की धारा–96 सीपीसी पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलार्थीगण प्रभावित पक्षकार होने से अपीलार्थी का धारा–96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या–1 ने तथ्य छिपाते हुए दावा पेश किया था क्योंकि प्रत्यर्थी ने दावे में अपने आपको मोहम्मद का जायन्दा पुत्र बताकर कूटरचित वसीयत के आधार पर दावा पेश किया था जिसको प्रत्यर्थी साबित नहीं कर पाया इसलिए उपखण्ड अधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावे को खारिज कर दिया था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण की जांच कर कार्यवाही करने के लिए तहसीलदार को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल समरी कार्यवाही है जिसमें किसी के हक व अधिकारो का निर्धारण नहीं हो सकता। हक अधिकारों का निस्तारण नियमित राजस्व में ही तय किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने एक कूटरचित दस्तावेज जो कि फोटो प्रति है, के आधार पर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में अपने आपको मोहम्मद खां पुत्र अन्नू खां का जायन्दा पुत्र बताते हुए तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया था जिसे तथाकथित वसीयतनामा मानते हुए प्रकरण को तहसीलदार को धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत मृतक के सभी वारिसों की जांच कर नोटिस जारी कर सुनवाई करने का आदेश पारित किया था। तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना किये बिना ही विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार ने तथाकथित वसीयतनामा/ गोदनामा जो एक फोटो प्रति है में गवाह के रूप में अंकित छोटू खां व अब्दुल हमीद में से केवल छोटू खां को ही नोटिस जारी किये गये थे जबकि हमीद खां को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। तहसीलदार के समक्ष धारा 135(2) के तहत हुई कार्यवाही विरोधाभासी है क्योंकि एक तरफ प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने आपको मोहम्मद खां का जायन्दा पुत्र बताते हुए उपखण्डअधिकारी नसीराबाद के समक्ष घोषणा का वाद वसीयतनामे के आधार पर पेश किया था उक्त दावे के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में भी अपने आपको मोहम्मद खा पुत्र अन्नू खां का जायन्दा पुत्र बताया है जबकि दूसरी ओर तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 135(2) में दिये गये शपथ पत्र में अपने आपको मोहम्मद का दत्तक पुत्र बता रहा है। तहसीलदार ने पटवारी हल्का द्वारा मंगाई जांच रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बनाई है। एक्स पार्टी मौका रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के बयान देना दर्शाया है उनके मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं है। एक्स पार्टी मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी को फौत दर्शाया गया है तथा दूसरी ओर मौका पर्चा के पैरा संख्या 13(1) में छोटू खा पुत्र शेर खां के बयान होना दर्शाया है। पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई एक्स पार्टी मौका पर्चा में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पेश तथाकथित लिखावट जो फर्जी, कूटरचित दस्तावेज की फोटो प्रति गोदनामा मानते हुए मौका पर्चा में उल्लेख किया है उक्त मौका पर्चा रिपोर्ट को आधार मानते हुए तहसीलदार ने निर्णय पारित किया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि मुस्लिम विधि में गोद पुत्र के आधार पर विरासत करने संबंधी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है तथा गोद पुत्र के आधार पर मुस्लिम विधि में विरासत तस्दीक नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया था जबकि अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 व 53 में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को यह अधिकार नहीं था कि वह अपने आप खातेदारी घोषणा भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के दावे को नामान्तरकरण की अपील में बदल दे जैसा कि न्यायिक दृष्टांत 2018 आर.बी.जे. पेज 645 में प्रतिपादित किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–1–2020 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी व मोहम्मद पुत्र अन्नू खां के सभी जायन्दा वारिसान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या–1 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा तहसीलदार, नसीराबाद को समस्त हितबद्ध पक्षकारान की साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देतेहुए मोहम्मद खां पुत्र अन्नू की विरासत की कार्यवाही भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में करावें। उक्त आदेश की

पालना में तहसीलदार ने समस्त दस्तावेजात, गवाहान एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31–1–2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 साबिर के नाम पर नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जो विधिसम्मत है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी में स्वीकार किया है कि केवल अपीलार्थी को ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है अन्य किसी व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया अर्थात अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्राप्त हो गया है। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के आदेश दिनांक 30–6–2015 की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर दिनांक 31–1–2020 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसमें अपीलार्थी व अन्य पक्षकारों को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है फिर भी मिथ्या एवं झूठे आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वसीयत या गोदनामें का जटिल प्रश्न जो नामान्तरकरण की कार्यवाही में तय नही किया जा सकता है जिसके लिए सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के द्वारा ही इन प्रश्नों का निर्णय किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष एक नियमित वाद उपरोक्त वसीयत या गोदनामे को प्रश्नचिन्ह करते हुए प्रस्तुत किया है जो अभी भी विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किा है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंगहै जिसे अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है एवं इसके लिए नियमित वाद लाना ही एक मात्र कार्यवाही है जो कि अपीलार्थी द्वारा अमल में लाई गई है तथा न्यायालय से यह तथ्य छिपाया गया है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने अपने निर्णय 30–6–2015 के द्वारा तहसीलदार, नसीराबाद को निर्देशित किया कि वादग्रस्त आराजी मोहम्मद खा पुत्र अन्नू की खातेदारी है प्रत्यर्थी संख्या–1 का कथन है कि वह मोहम्मद खां का एक मात्र वारिस है किन्तु इसके समर्थन में कोई सजरा प्रमाण पत्र, वसीयतनामा व अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे उसका हक व अधिकार साबित होता है। प्रकरण मोहम्मद पुत्र अन्नू की विरासत का है अतः ग्राम बाघसुरी स्थित विवादित आराजियात पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है कि तहसीलदार उक्त आराजी समस्त हितबद्ध पक्षकारान की साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए मोहम्मद खां पुत्र अन्नू की विरासत की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में की जावे। तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा विवादित आराजियात बाबत अपीलार्थी एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार

बनाए बिना आदेश दिनांक 31–1–2020 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत सजरा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक 20–1–2020 में सजरे में जो व्यक्तियों के नाम दर्शाए गए है उनमें से किसी के भी हस्ताक्षर मौका पर्चा पर नहीं है। इससे यह सिद्ध है कि मौका पर्चा अपीलार्थी एवं अन्य पक्षकारों की मौजूदगी में नहीं बनाया गया है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को मोहम्मद पुत्र अन्नू खां को गोद पुत्र मानने में कानूनी त्रूटि कारित की है क्यांकि मुस्लिम विधि में गोद लेने का कोई प्रावधान नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य से प्रत्यर्थी संख्या 1 साबिर को मोहम्मद खां पुत्र अन्नू खां द्वारा गोद लिया हो दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं है साथ ही मुस्लिम विधि में गोद पुत्र के आधार पर मुस्लिम विधि में विरासत तस्दीक नहीं की जा सकती जैसा कि माननीय न्यायालयों ने अपने विभिन्न निर्णयों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। विवादित आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात होने के कारण मोहम्मद पुत्र अन्नू जो कि नाऔलाद फौत हो गया था जिसके समस्त जायन्दा वारिसानों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिए था। तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा विवादित आराजियात कुल किता 13 कुल रकबा 4.34 हैक्टर पर मोहम्मद पुत्र अन्नू खां जाति पठान साकिन देह खातेदार के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 1 साबिर का नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत नहीं होने से तहसीलदार नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2020 त्रूटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–1–2020 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी एव मोहम्मद खां पुत्र अन्नू खां के विधिक पक्षकारान को प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनाकर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने व पूर्ण सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पटवारी हल्का को अपीलार्थी एवं मोहम्मद खां पुत्र अन्नू खां के विधिक पक्षकारान की मौजूदगी में मौका पर्चा तैयार करने व दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन व अध्ययन कर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर दोनो पक्षों को विधिवत सुनकर नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर